

जज अदालत ..... मुकाम .....  
 ..... बनाम .....  
 करम मुकदमा ..... नं. .... सन् .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	---

20-5-22 पत्रावली फोलो अपकेम्प चेंची से येशु हई प्रकर 01  
 से प्राधी उपः पत्रावली से उपः प्राधी के बयान कलम  
 बद्ध कराये जाये। व प्राधी ने उपः होकर ग्राम में चाया  
 राम मुरिया के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र व आधार कार्ड  
 की दृष्टि प्रति पेश की ओर निवेदन किया मौजा गलिया  
 गावडी प-ह-राम मुरिया से खाता स. 144 खसरा स. 473/  
 93 रकबा 0.6500 है। भूमि स्थित है। उक्त आराजियात  
 के खाते प्राधी का नाम लियाकत अली पिता रोशन  
 अली अंकित है। जो गलत है। प्राधी का वास्तविक नाम  
 लियाकत अली पिता हसन अली मुसलमान है। उक्त  
 नाम को प्राधी राजस्व खाते से सही करवाना चाहता है।  
 अतः प्राधी का प्रा-पत्र अ-धा 136 4 R A कारबीफार  
 किया जाता है। मौजा गलिया गावडी प-ह-राम मुरिया  
 से खाता स. 144 आ-स. 473/93 कुल रकबा 0.6500  
 है। भूमि में अंकित लियाकत अली पिता रोशन अली  
 मुसलमान के बजाय लियाकत अली पिता हसन अली  
 मुसलमान नि-राम मुरिया राजस्व रेकार्ड में अंकित  
 किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश पृथक से  
 लिखा जाकर शामील पत्रावली किया जावे। पत्रावली  
 प्रैसल सुधार होकर नम्बर से कम हो।

लियाकत अली.

क्र-स/सरेखा  
 146/20-5-22  
 30-5-22